ए.

विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस. द्वारा नादकेरप्पा का निर्णय लिया गया।

वी.

विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस. द्वारा पी. आई. एल. ए. एम. ए. का निर्णय।
(2017 की सिविल अपील संख्या 7657-7658)

31 मार्च, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 19612(27), 2(33), 2(34), एस को प्रोविसो।48-ए-कर्नाटक भूमि सुधार नियम, 1974 -आर. 19-आयोजितःरिमांड का आदेश निश्चित रूप से एक मामले के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है-रिमांड का आदेश केवल निचली अदालत या न्यायाधिकरण को कार्यवाही वापस करने के उद्देश्य से भी पारित नहीं किया जा सकता है-अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए-जहां दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया है, अपीलीय न्यायालय को मामले को निचली अदालत या न्यायाधिकरण को भेजने के बजाय गुण-दोष के आधार पर अपील का फैसला करना होता है-तत्काल मामले में, खंड पीठ ने मामले को बिना किसी औचित्य के भेज दिया-इसके अलावा, एस.48- ए, किरायेदार के लिए भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में भूमि की सीमा में सुधार की मांग करने वाला आवेदन करने की अनुमति थी-परंतुक 3 पर डाला गया था और भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में सुधार की मांग करने वाला ज्ञापन वर्ष 2002 में दायर किया गया था-इसलिए, एकल न्यायाधीश को लगभग 20 साल की देरी के आधार पर भूमि न्यायाधिकरण द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने में उचित नहीं ठहराया गया था-अधिकांश किरायेदार दूरदराज के ग्रामीण हैं और उनमें से अधिकांश अनपढ़ व्यक्ति हैं और अधिनियम एक लाभकारी कानून है-अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करते समय इस पहलू को ध्यान में रखना होगा-क्या आदेश में सुधार की आवश्यकता है या नहीं, पक्षों को सुनने के बाद भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है-लिखित अपील में आदेश

जी.

एच.

1046 ए.

1047

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम द्वारा नादाकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय।

अभ्यास और प्रक्रिया-रिमांड का आदेश-कब पारित नहीं किया जा सकता-चर्चा की गई।

कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961-चर्चा का उद्देश्य।विधियों की व्याख्या-लाभकारी विधान-आयोजितःयह निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि इस तरह के अधिनियमों के प्रावधानों का अर्थ लगाने में, अदालत को एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, पूरा करता है और आगे बढ़ाता है, न कि जो इसे विफल कर देगा और संरक्षण को भ्रामक बना देगा-कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील संख्या 7657-7658।

2007 (एल. आर.) की रिट अपील संख्या 1563 और 2007 (एल. आर.) की 1950 (एल. आर.) में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

ए. एन. वेणुगोपाल गौड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, बालाजी श्रीनिवासन, मोहम्मद शाहरुख, रमेश बी., अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अशोक बन्निदिन्नी, अविरल चंद्र, सुजीत कुमार, शुभ्रांशु दास, अंशुमन नायक, शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. ये अपीलें 2007 की रिट अपील No.1950 से जुड़ी 2007 की रिट अपील No.1563 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 30.12.2014 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई हैं।

2. इन अपीलों के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

श्रीमती. स्वर्गीय मरियप्पा की पत्नी पिल्लम्मा और उनके बच्चों (यहां उत्तरदाताओं) ने रिट याचिका संख्या (ओं) दायर की।27230/2002 और बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कर्नाटक भूमि सुधार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 27.02.1989 के आदेश और दिनांक 30.04.1982 के भूमि न्यायाधिकरण के आदेश और दिनांक 30.04.1982 के भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में पाई गई भूमि की सीमा को सही करने के लिए भूमि न्यायाधिकरण द्वारा जारी दिनांकित 24.05.2002 के नोटिस को चुनौती दी।वे.

जी.

एच.

ए.

सर्वेक्षण सं. (ओं) वाली भूमि के स्वामी हैं।4/7, 4/2 और 1/11 बैंगलोर उत्तरी तालुक के श्रीगंडडकवल गाँव के क्रमशः 35 गुंटा, 25 गुंटा और 1 एकड़ 14 गुंटा मापते हैं।श्रीमती. उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पिल्लम्मा की मृत्यु हो गई।उनके बच्चे जो पहले से ही रिकॉर्ड में थे, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रखी।उनके पिता स्वर्गीय मरियप्पा पुत्र चन्नप्पा ने वेंकटप्पा नाम के व्यक्ति से एक बिक्री विलेख के तहत जमीनें खरीदी थीं।3. अपीलार्थीगण एक नादकेरप्पा के कानूनी प्रतिनिधि हैं।उक्त भूमि का किरायेदार होने का दावा करने वाले नादकेरप्पा ने दो अन्य भूमि यानी सर्वेक्षण संख्या (ओं) के साथ उक्त भूमि के अधिभोग अधिकार देने के लिए प्रपत्र संख्या 7 में दो आवेदन दायर किए।4/14 और 65.भूमि न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक आई. डी. 3 के आदेश द्वारा 35 गुंटा की सीमा तक सर्वेक्षण वाली भूमि, 25 गुंटा की सीमा तक सर्वेक्षण वाली भूमि और 25 गुंटा की सीमा तक सर्वेक्षण वाली भूमि के संबंध में नादकेरप्पा के पक्ष में अधिभोग अधिकार प्रदान किए।उपरोक्त सीमा तक 08.09.1982 पर इन भूमि के संबंध में नादकेरप्पा के पक्ष में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।नादकेरप्पा ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए प्रीमियम के लिए Rs.462 की राशि का भुगतान किया।प्रदत्त भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान नादकेरप्पा द्वारा भूमि मालिकों को 27.11.1984 पर करने का

आदेश दिया गया था।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि मरियप्पा को नादकेरप्पा द्वारा दायर किए गए उक्त आवेदनों में पक्षकार नहीं बनाया गया था।दिनांकित 31.12.1974 आवेदन में, एक रामकृष्णप्पा पुत्र बैरप्पा का नाम भूमि मालिक के रूप में दिखाया गया था और, दिनांकित 30.10.1974 के एक अन्य आवेदन में, स्वामित्व कॉलम को खाली छोड़ दिया गया था।

4. मरियप्पा ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे भूमि सुधार अपीलीय प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया और इसे एल. आर. ए. No.179/1986 के रूप में क्रमांकित किया गया।अपीलीय प्राधिकरण ने अपने दिनांक 27.02.1989 के आदेश द्वारा चूक के लिए अपील को खारिज कर दिया।वर्ष 1993 में मरियप्पा की मृत्यु हो गई।

5. मरियप्पा ने अपने जीवनकाल के दौरान तहसीलदार, बैंगलोर उत्तर तालुक के समक्ष वर्ष के लिए राजस्व प्रविष्टि को ठीक करने और सर्वेक्षण में 29 गुंटा भूमि के संबंध में अपना नाम दिखाने के लिए एक आवेदन दायर किया था।हालाँकि, 25.04.1992 पर, तहसीलदार ने मरियप्पा के हित के प्रतिकूल आदेश पारित किया।मरियप्पा ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए आर. ए. No.196/1992-93 में सहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जिसे 26.10.1995 पर भी खारिज कर दिया गया था।चूंकि वर्ष 1993 में मरियप्पा की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने संशोधन याचिका No.118 A दायर की।

जी.

एच.

1049

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम द्वारा नादाकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

2001 सहायक आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाले विशेष उपायुक्त के समक्ष।उक्त संशोधन याचिका को विशेष उपायुक्त द्वारा दिनांक 19.04.2002 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।नादकेरप्पा ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका No.20187 2002 दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसकी अनुमति 01.07.2002 पर दी गई थी।नतीजतन,

तहसीलदार, सहायक आयुक्त और विशेष उपायुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।रिट याचिका No.20187/2002 में आदेश की पुष्टि रिट अपील No.3971 2002 में की गई थी।

6. इस बीच, नादकेरप्पा ने श्रीगंडडकवल गाँव के सर्वेक्षण में 1 एकड़ 14 गुंटा भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष O.S.No.7459/1991 वाला मुकदमा दायर किया।दीवानी अदालत ने उक्त मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया।इस आदेश को भूमि मालिकों ने एम. एफ. ए. No.319/1993 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।उक्त अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को 29 गुंटा तक पेड़ों को काटने और हटाने से रोकने पर किया गया था।अंत में, सिविल कोर्ट द्वारा 21.05.2003 पर O. S. No.7459/1991 का फैसला सुनाया गया।भूमि मालिकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आर. एफ. ए. No.1134/2003 याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती दी।मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 10.01.2014 पर अपील को खारिज कर दिया है।

7. नादकेरप्पा ने वर्ष 2002 में भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया था जिसमें भूमि न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के आदेश में पाई गई लिपिकीय गलती को सुधारने की मांग की गई थी।ज्ञापन प्राप्त होने पर भूमि न्यायाधिकरण ने भूमि मालिकों को जांच के लिए नोटिस जारी किया।भूमि मालिकों ने उक्त सूचना की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए रिट याचिका No.23034/2002 दायर की।उन्होंने एल. आर. ए. No.179/1986 को खारिज करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के दिनांकित 27.02.1989 के आदेश और नादकेरप्पा के पक्ष में अधिभोग अधिकार देने वाले भूमि न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 30.04.1982 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका No.27230 2002 भी दायर की।8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25.07.2007 के आदेश द्वारा भूमि मालिकों द्वारा विलंब और विलंब के आधार पर दायर रिट याचिका No.27230/2002 को खारिज कर दिया।भूमि मालिकों द्वारा दायर दूसरी रिट याचिका, यानी W.P.No.23034/2002 को अनुमति दी गई और 24.05.2002 दिनांकित नोटिस को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।

जी.

9. नादकेरप्पा ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए रिट याचिका No.23034/2002 में पारित आदेश को दायर करके चुनौती दी।

अपील No.1563/2007 लिखें।भूमि मालिकों ने रिट याचिका No.27230/2002 में पारित दूसरे आदेश को रिट अपील No.1950 2007 दाखिल करके चुनौती दी।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील No.1950/2007 की अनुमति दी और रिट याचिका No.27230/2002 में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।नतीजतन, भूमि न्यायाधिकरण के दिनांक 30.04.1982 के आदेश और LRA No.179/1986 में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए भूमि न्यायाधिकरण को भेज दिया गया।इस आदेश को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि रिट अपील No.1563/2007 निष्फल हो गई है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, इन आदेशों को इन अपीलों में चुनौती दी गई है।

10. अतः इन अपीलों में विचार के लिए दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं।पहला सवाल यह है कि क्या खंड पीठ ने डब्ल्यू. पी. No.23034 2002 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया, भूमि न्यायाधिकरण के दिनांक 30.04.1982 के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को भूमि न्यायाधिकरण को भेज दिया।दूसरा सवाल यह है कि क्या लर्नड सिंगल जज को 24.05.2002 दिनांकित नोटिस को रद्द करने में उचित ठहराया गया था।

11. पहले प्रश्न पर, अपीलार्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. एन. वेणुगोपाल गौड़ा ने प्रस्तुत किया कि भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने में 20 साल की लंबी और अत्यधिक देरी हुई है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थीगण वर्ष 1955 से संरक्षित किरायेदारों के रूप में विचाराधीन भूमि के कब्जे में हैं और प्रत्यर्थीगण वर्ष 1993 की शुरुआत में ही कार्यवाही से अच्छी तरह वाकिफ थे।प्रत्यर्थीगण के हित में पूर्ववर्ती मरियप्पा ने नादकेरप्पा के खिलाफ मामला नहीं चलाया था।इन आधारों को स्वीकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त आदेश को यांत्रिक तरीके से रद्द कर दिया है और मामले को बिना किसी औचित्य के भूमि न्यायाधिकरण को भेज दिया है।उन्होंने इस प्रश्न पर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के समर्थन में कई अन्य आधारों का आग्रह किया है।

12. दूसरी ओर, श्री विकास सिंह और सुश्री किरण सूरी, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि नादकेरप्पा ने अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए प्रपत्र संख्या 7 में आवेदन दायर किया जिसमें मकान मालिक के नाम के लिए निर्धारित कॉलम को खाली रखा गया था।हालाँकि दूसरा प्रपत्र संख्या 7 दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्होंने वही दाखिल किया जिसमें मकान मालिक का नाम "राम कृष्णप्पा" के रूप में दिखाया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नादकेरप्पा ने उक्त ए पर धोखाधड़ी करके भूमि न्यायाधिकरण का दिनांक 30.04.1982 का आदेश प्राप्त किया।

जी.

एच.

1051

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम द्वारा नादाकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

न्यायाधिकरण।प्रत्यर्थीगण को, धोखाधड़ी करके आदेश प्राप्त करने के बाद, उक्त आदेश का फल रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की अंतिमता को लागू नहीं किया जा सकता है।इस संबंध में उन्होंने इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा किया है।दूसरा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष किरायेदार और मकान मालिक के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 2 (33) के तहत एक पूर्व-आवश्यकता है।

13. दूसरे प्रश्न पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए. एन. वेणुगोपाल गौड़ा प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की धारा 48-ए में संशोधन के संबंध में, जिसमें 1995 के अधिनियम No.31 द्वारा एक परंतुक जोड़ा गया था, नादकेरप्पा ने आदेश में लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए एक ज्ञापन दायर किया।भूमि न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थीगणओं को इस ज्ञापन पर सही नोटिस जारी किया।इसलिए, विलंब के आधार पर उक्त नोटिस को रद्द करने में विद्वान एकल न्यायाधीश उचित नहीं था।हालाँकि, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को सही ठहराने की कोशिश की है।

14. उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करने से पहले, मरियप्पा, मकान मालिक और नादकेरप्पा के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार करना आवश्यक है, जिन्होंने प्रपत्र संख्या 7 में आवेदन दायर किया था।अभिलेख पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वेंकटप्पा इन भूमि का मूल मालिक था।उन्होंने मरियप्पा के पक्ष में 28.08.1954 दिनांकित एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था जो 30.08.1954 पर पंजीकृत था।हालाँकि, वेंकटप्पा ने इन संपत्तियों को फिर से शाराबाराध्या के पक्ष में 21.10.1954 पर पंजीकृत 07.07.1954 के बिक्री विलेख द्वारा बेच दिया।चूँकि शरबराध्या के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख मरियप्पा के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख के बाद था, इसलिए शरबराध्या को उक्त संपत्तियों पर कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज नहीं मिल सका।शरबरध्य ने नादकेरप्पा के पक्ष में विचाराधीन भूमि के संबंध में दिनांकित 29.04.1955 और 23.05.1956 विलेखों का पंजीकृत पट्टा निष्पादित किया।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि शरबरध्य ने वेंकटप्पा के पक्ष में इन संपत्तियों के संबंध में 24.09.1964 पर त्याग के पंजीकृत विलेख को निष्पादित किया।इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इन पट्टा विलेखों को नादकेरप्पा के पक्ष में निष्पादित किया गया था, तो शरबरध्य को इन संपत्तियों के संबंध में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था।हालाँकि, इन पट्टा विलेखों के निष्पादन के बाद, नादकेरप्पा का नाम था

आर. टी. सी. में प्रवेश किया। यह भी स्पष्ट है कि पट्टा विलेखों के निष्पादन के बाद, नादकेरप्पा को किरायेदार के रूप में संपत्तियों के कब्जे में डाल दिया गया था।मकान मालिक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मकान मालिक मरियप्पा और नादकेरप्पा के बीच किरायेदारी का कोई अनुबंध नहीं है।हालाँकि, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नादकेरप्पा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (34) के तहत परिभाषित एक संरक्षित किरायेदार थे।

15. 'किरायेदार' शब्द को अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (34) में परिभाषित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, एक किरायेदार में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो एक

संरक्षित किरायेदार है।'किरायेदारी' शब्द को धारा 2 की उप-धारा (33) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है मकान मालिक और किरायेदार का संबंध।धारा 2 की उप-धारा (27) 'संरक्षित किरायेदार' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है किसी भी भूमि का किरायेदार यदि उसने इसे लगातार रखा है और नियत दिन से पहले कम से कम बारह साल की अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से इसकी खेती की है।यहाँ नियत दिन 01.03.1974 है।

16. अभिलेख पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि नादकेरप्पा उपरोक्त पट्टा विलेखों की तारीख से भूमि पर कब्जा कर रहे थे और खेती कर रहे थे।वास्तव में, इस स्थिति को मकान मालिक द्वारा स्वीकार किया गया है जो अपीलार्थी द्वारा 2021 के आई. ए. No.103954 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है।अपीलार्थी ने मरियप्पा द्वारा दायर फॉर्म संख्या 7 दिनांकित 27.12.1974 में एक आवेदन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें सज्जपाल्या गाँव, बैंगलोर, उत्तरी तालुक दिनांकित 27.12.1974 में कुछ अन्य भूमि के अधिभोग अधिकारों के अनुदान की मांग की गई है।प्रपत्र संख्या 7 में आवेदन दाखिल करते समय, आवेदक को न केवल उस भूमि का विवरण देना आवश्यक है जिसके संबंध में वह अधिनियम की धारा 45 के तहत अधिभोग अधिकारों का पंजीकरण चाहता है, बल्कि अधिनियम के अध्याय-IV के तहत भूमि जोत पर अधिकतम सीमा पर विचार करने के उद्देश्य से उसके या उसके परिवार द्वारा धारण की गई भूमि का विवरण भी देना आवश्यक है। आवेदन पत्र कर्नाटक भूमि सुधार नियम, 1974 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 19 के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित किया गया है।नियम 19 (1) के तहत निर्धारित प्रपत्र संख्या 7 निम्नानुसार हैः

“फॉर्म 7

जी.

[नियम 19 (1) देखें]

निवासी के रूप में पंजीकरण के लिए धारा 48-ए (1) के तहत आवेदन

धारा 45 ए के तहत

एच.

1053

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम द्वारा नादाकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

आवेदक के नाम पर Tribunal.Taluk. आयु

व्यवसाय निवास स्थान मैं निम्नलिखित भूमि का किरायेदार/उप-किरायेदार हूँः

मैं एक किरायेदार for.years के रूप में भूमि पर खेती कर रहा हूँ।

मैं कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 में निर्धारित नियमों और शर्तों पर भूमि के अधिभोगियों के रूप में पंजीकृत होने में रुचि रखता हूं।

मैं, जिस परिवार का मैं सदस्य हूं, मालिक/किरायेदार/या किसी अन्य क्षमता के रूप में ऊपर वर्णित भूमि के अलावा अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निम्नलिखित भूमि रखता हूंः-

1. स्वयं
2. पत्नी।
3. छोटे बच्चे
4. अविवाहित बेटियाँ

   जी.
5.

कोई अन्य विवरण

स्थानः.....

तारीखः.....

आवेदक के हस्ताक्षर

एच.

तहसीलदार को मूल अभिलेखों के संदर्भ में उपरोक्त जानकारी की जांच करनी चाहिए और न्यायाधिकरण द्वारा जांच के लिए तैयार रहना चाहिए।

ध्यान देंःऊपर दी गई जानकारी, यदि अधूरी या गलत पाई जाती है तो याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 125 के तहत प्रदान की गई दोषसिद्धि और जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी है।

17. मरियप्पा द्वारा दायर प्रपत्र संख्या 7 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि श्रीगंडडकवल गाँव का सर्वेक्षण Nos.11/1,4/2 और 4/7 उनके स्वामित्व में है; एक किरायेदार के रूप में नादकेरप्पा के कब्जे में है।

18. भूमि मालिकों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दस्तावेज़ प्रपत्र संख्या 7 जिसे मरियप्पा द्वारा दायर किया गया है, एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ है और प्रत्यर्थीगणओं ने इस संबंध में अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आवेदन में किरायेदार के स्वामित्व वाली भूमि को शामिल करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है।

19. अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रपत्र संख्या 7 एक प्रमाणित प्रति है।उक्त दस्तावेज़ को देखने के बाद, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ नहीं है।प्रपत्र संख्या 7 में आवेदक को अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धारित अन्य भूमि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।जब मकान मालिक स्वयं स्वीकार करता है कि नादकेरप्पा पहले से ही एक किरायेदार था, तो यह मानने का कोई सवाल ही नहीं है कि

मरियप्पा और नादकेरप्पा के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं था। अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नादकेरप्पा वर्ष 1955 से उक्त भूमि पर कब्जा कर रहे थे और खेती कर रहे थे और 'संरक्षित किरायेदार' के रूप में माने जाने के योग्य थे।

20. अब, आइए हम इन अपीलों में शामिल पहले प्रश्न पर विचार करें।जैसा कि ऊपर देखा गया है, मरियप्पा दिनांकित 30.08.1954 के बिक्री विलेख के आधार पर संपत्ति के मालिक थे।हालांकि, नादकेरप्पा ने अधिभोग अधिकार देने के लिए फॉर्म संख्या 7 में 30.10.1974 पर दायर आवेदन में अपना नाम नहीं दिखाया।वास्तव में, उन्होंने संपत्ति के भूमि मालिक के रूप में किसी का नाम नहीं दिखाया और उक्त कॉलम को खाली छोड़ दिया।हालाँकि, प्रपत्र संख्या 7 में अपने आवेदन के समापन भाग में, उन्होंने उल्लेख किया है कि उक्त संपत्ति मरियप्पा पुत्र चन्नप्पा के नाम पर खड़ी है।नादकेरप्पा द्वारा दिनांकित फॉर्म संख्या 7 में दूसरे आवेदन में उन्होंने एक रामकृष्णप्पा पुत्र बैरप्पा का नाम दिखाया है।भूमि न्यायाधिकरण ने सर्वेक्षण सं. (ओं) के संबंध में दिनांक 30.04.1982 के आदेश द्वारा अधिभोग अधिकार प्रदान किए।4/7, 4/2 और 1/11 35 गुंटा की सीमा तक, 25 ए

जी.

एच.

1055

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम. द्वारा नादकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

क्रमशः गुंटा और 25 गुंटा।मरियप्पा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. NO.12461/1984 दाखिल करके भूमि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को चुनौती दी।इस मामले को अपीलीय प्राधिकरण को भेजा गया था जिसमें इसे एल. आर. ए. No.179/1986 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।उक्त एल. आर. ए. को 27.02.1989 पर खारिज कर दिया गया था।मरियप्पा ने इस आदेश को दरकिनार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।मरियप्पा का निधन 15.10.1993 पर हुआ।मरियप्पा के कानूनी प्रतिनिधियों ने डब्ल्यू. पी. No.27230/2002 दायर कर भूमि न्यायाधिकरण के दिनांकित 30.04.1982 के आदेश और अपीलीय प्राधिकरण के दिनांकित 27.02.1989 के आदेश को रद्द करने की मांग की।यह रिट याचिका एल. आर. ए. No.179/1986 की बर्खास्तगी की तारीख से 13 साल की लंबी देरी के बाद दायर की गई थी।देरी का एकमात्र कारण वित्तीय समस्याएं और खराब स्वास्थ्य था।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश

ने देरी और अड़चनों के आधार पर इस रिट याचिका को खारिज कर दिया है।21. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि हालांकि एल. आर. ए. को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 27.02.1989 पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन मरियप्पा ने उक्त आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना।अन्यथा भी, प्रत्यर्थीगण भूमि न्यायाधिकरण के आदेश से अवगत थे जो अपीलार्थीगण के खिलाफ उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यवाहियों से स्पष्ट है।मरियप्पा ने एल. आर. ए. No.179/1986 की बर्खास्तगी को स्वीकार कर लिया।वास्तव में, वर्ष 1992 में, मरियप्पा ने सर्वेक्षण No.1/11 में 29 गुंटा भूमि के संबंध में अपना नाम दर्ज करके वर्ष 1989-90 के लिए प्रविष्टि को सुधारने के लिए एक आवेदन दायर किया। तहसीलदार ने 25.04.1992 पर मरियप्पा के उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।इस आदेश को मरियप्पा ने सहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी जिसे 26.10.1995 पर भी खारिज कर दिया गया था।इस बीच, मरियप्पा की मृत्यु हो गई।सात साल के अंतराल के बाद मरियप्पा के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा विशेष उपायुक्त के समक्ष एक समीक्षा याचिका यानी R.P.No.118/2001 दायर की गई थी जिसे 19.04.2002 पर अनुमति दी गई थी।नादकेरप्पा ने उच्च न्यायालय के समक्ष W.P.No.20187/2002 दाखिल करके इस आदेश को चुनौती दी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने 01.07.2002 पर अनुमति दी थी।मरियप्पा के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर एक रिट अपील, W.A.No.3971 2002,02.08.2002 पर खारिज कर दी गई थी।भूमि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के बाद, सर्वे No.1/11 में 1 एकड़ 14 गुंटा भूमि के पूरे विस्तार के लिए आर. टी. सी. में नादकेरप्पा का नाम दर्ज किया गया था।जब मकान मालिक द्वारा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया, तो उसने ओ. एस. No.4171 1991 वाला एक दीवानी मुकदमा दायर किया।ट्रायल कोर्ट ने नादकेरप्पा के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।इस आदेश को एम. एफ. ए. No.319 1993 में आदेश द्वारा संशोधित किया गया था।ये कार्यवाही स्पष्ट रूप से नादकेरप्पा के पक्ष में अधिभोग अधिकारों के अनुदान को दर्शाएगी।इसलिए वे अज्ञानता की वकालत नहीं कर सकते।

जी.

एच.

30.04.1982 पर अधिभोग अधिकार का अनुदान।प्रत्यर्थियों-मकान मालिकों के इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि खराब स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याओं के कारण, वे उचित समय के भीतर न्यायालय का रुख नहीं कर सकते थे।हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विलंब के आधार पर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

"भूमि न्यायाधिकरण के आदेश के पारित होने के बाद, दीवानी पक्ष के साथ-साथ राजस्व पक्ष दोनों पर कार्यवाही शुरू हो गई है।जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्ष 1989 में कथा परिवर्तन के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।अंततः, मामला डब्ल्यू. ए. No.3971/2002 में इस न्यायालय की खंड पीठ के पास आया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षों को अपने मामले को भूमि न्यायाधिकरण जैसे उपयुक्त मंच में निपटाना होगा।जैसा कि ऊपर बताया गया है, ओ. एस. No.7459/1991 में निषेधाज्ञा के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दीवानी मुकदमा भी दायर किया जाता है।अब मामला इस न्यायालय के समक्ष आर. एफ. ए. सं. 1134/2003 में लंबित है।इन सभी राजस्व के साथ-साथ दीवानी कार्यवाही में याचिकाकर्ता पक्षकार हैं।भूमि सुधार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एल. आर. ए. No.179/86 में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को 27.2.1989 पर चूक के लिए खारिज कर दिया गया था।डब्ल्यू. पी. 27230/2002 भूमि सुधार अपीलीय प्राधिकरण के दिनांक 27.2.1989 के आदेश और दिनांक 30.4.1982 के भूमि न्यायाधिकरण के आदेश पर सवाल उठाते हुए वर्ष 2002 में इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है, यानी एल. आर. ए. सं. 179/1986 की बर्खास्तगी की तारीख से लगभग 13 साल बीत जाने के बाद।याचिकाकर्ताओं द्वारा विलंबित रिट याचिका दायर करने का एकमात्र कारण यह है कि वित्तीय और खराब स्वास्थ्य के कारण वे इस न्यायालय का रुख नहीं कर सके।उक्त कारण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता या तो राजस्व अदालतों में या दीवानी अदालत में या इस अदालत के समक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता कम से कम वर्ष 1989 में भूमि न्यायाधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को अच्छी तरह से जानते थे, जब राजस्व याचिका उत्पन्न हुई थी।इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने ओ. एस. No.7459/1991 में दायर अपने लिखित बयान में कहा है कि न्यायाधिकरण ने एस. आई. में 25 से अधिक गुंटाओं में प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में अधिभोग अधिकार प्रदान किए हैं। No.1/11।इस प्रकार, डब्ल्यू. पी. No.27230/2002 को देरी और विलंब के आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है।यह न्यायालय रिट याचिका पर विचार करके सुलझे हुए मामले को अस्थिर नहीं करना चाहता है।याचिकाकर्ताओं ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार कर लिया है और 13 लंबे वर्षों तक उक्त आधार पर कार्य किया है।अब यह ए नहीं है

जी.

एच.

1057

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम द्वारा नादाकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

उनके लिए यह तर्क देने के लिए खुला है कि वे भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को नहीं जानते थे।"

22. हालांकि, प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि भूमि मालिक का नाम आवेदन पत्र संख्या 7 में नहीं दिखाया गया था और भूमि न्यायाधिकरण से आदेश भौतिक तथ्यों को दबाकर प्राप्त किया गया था।

23. हम पहले ही देख चुके हैं कि पहले आवेदन में नादकेरप्पा का नाम मकान मालिक के कॉलम में नहीं दिखाया गया था, लेकिन उसके समापन भाग में इसका उल्लेख किया गया था। इसलिए, उनके लिए दूसरा आवेदन दायर करना अनावश्यक था जिसमें भूमि के मालिक को रामकृष्णप्पा के रूप में दिखाया गया था।ये आवेदन 30.10.1974 और 31.12.1974 पर जल्द से जल्द दायर किए गए थे।कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 कृषि भूमि के किरायेदारों को खेती करने का अधिकार देने के लिए एक लाभकारी कानून है।यह निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि इस तरह के अधिनियमों के प्रावधानों का अर्थ लगाने में, अदालत को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, पूरा करता है और आगे बढ़ाता है, न कि वह जो उसे विफल कर देगा और संरक्षण को भ्रामक बना देगा।अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से भूमि के किरायेदारों को स्वामित्व प्रदान करना था।धारा 45 1974 के अधिनियम संख्या 1 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.03.1974 द्वारा पेश की गई थी जिसमें किरायेदार के पक्ष में अधिभोग अधिकारों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया था।अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 137 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। नियम 19 आवेदन और नोटिस के रूप का प्रावधान करता है।इस नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार आवेदन के उद्धरण संबंधित न्यायाधिकरणों को भेजेगा।जहाँ तक उसके तालुक की भूमि का संबंध है, तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड के संदर्भ में आवेदन में

उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करना होता है, जिसमें अधिकारों का रिकॉर्ड भी शामिल है जहाँ भी वे तैयार किए जाते हैं और आवेदन पर भी इसे नोट करना होता है।

24. यह आम जानकारी है कि प्रासंगिक समय के दौरान यानी उन्नीस सौ सत्तर के दशक के दौरान अधिकांश किरायेदार वंचित और अनपढ़ ग्रामीण थे जो दूरदराज और दूरदराज के क्षेत्रों से थे।बड़ी संख्या में किरायेदारों के पास जीवन की पर्याप्त और बुनियादी आवश्यकताओं की कमी थी और वे घोर गरीबी से पीड़ित थे।विधानमंडल ने इस पहलू को मान्यता दी है और राजस्व अभिलेखों के संदर्भ में आवेदन में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करने और आवेदन पर इसे नोट करने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर डाल दी है।इसलिए राजस्व अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करना तहसीलदार का कर्तव्य था।

और फॉर्म संख्या 7 में भूमि के मालिक का नाम शामिल/दर्ज करें।अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि तत्काल मामले में किरायेदार ने अपने नाम पर अधिभोग अधिकार पंजीकृत कराने के लिए कोई धोखाधड़ी नहीं की है।

25. डिवीजन बेंच ने कोई ठोस कारण बताए बिना, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को भूमि न्यायाधिकरण को भेज दिया है।यह स्थापित विधि है कि रिमांड का आदेश निश्चित रूप से पारित नहीं किया जा सकता है।रिमांड का आदेश केवल निचली अदालत या न्यायाधिकरण को कार्यवाही भेजने के उद्देश्य से भी पारित नहीं किया जा सकता है।अपीलीय न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।जहां दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया है, अपीलीय न्यायालय को मामले को निचली अदालत या न्यायाधिकरण को भेजने के बजाय योग्यता के आधार पर अपील का फैसला करना होता है।हमारा विचार है कि तत्काल मामले में, खंड पीठ ने बिना किसी औचित्य के मामले को रिमांड पर ले लिया है।

26. हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहले प्रश्न पर अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की अन्य दलीलों पर विचार करना अनावश्यक है।

27. दूसरे प्रश्न पर आते हुए, सर्वेक्षण संख्या में सुधार के लिए किरायेदार द्वारा दायर एक ज्ञापन के आधार पर भूमि न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 24.05.2002 द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए W.P.No.23034/2002 दायर किया गया था।1995 के अधिनियम No.31 द्वारा 'अधिनियम' की धारा 48-ए में एक परंतुक जोड़ा गया है जो डब्ल्यू. ई. एफ. 20.10.1995 लागू हुआ है जो निम्नानुसार हैः

“बशर्ते कि न्यायाधिकरण अपने दम पर या किसी भी पक्ष के आवेदन पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, वास्तविक माप करने और संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश में भूमि की सीमा को सही कर सकता है।”

28. उपरोक्त परंतुक को ध्यान में रखते हुए, भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में भूमि के विस्तार में सुधार के लिए आवेदन करना किरायेदार के लिए अनुज्ञेय था।20.10.1995 पर परंतुक जोड़ा गया था और भूमि न्यायाधिकरण के आदेश में सुधार की मांग करने वाला ज्ञापन वर्ष 2002 में दायर किया गया था।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को लगभग 20 वर्षों की देरी के आधार पर भूमि न्यायाधिकरण द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने में उचित नहीं ठहराया गया था।हम पहले ही देख चुके हैं कि अधिकांश किरायेदार दूरदराज के इलाकों के ग्रामीण हैं और उनमें से अधिकांश अनपढ़ व्यक्ति हैं।

जी.

एच.

1059

विधिक उत्तराधिकारी एस. बनाम द्वारा नादाकेरप्पा का निर्णय।विधिक उत्तराधिकारी एस. द्वारा पी. आई. एल. एल. ए. एम. ए. का निर्णय। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

और यह कि अधिनियम एक लाभकारी विधान है।अधिनियम के तहत मामलों का निर्णय लेते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आदेश में सुधार की आवश्यकता है या नहीं, यह भूमि न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों को सुनने के बाद तय किया जाना है।वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2002 के डब्ल्यू. पी. No.20187 का निपटान करते हुए, जो राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों से संबंधित विवाद से उत्पन्न हुआ था, यह पाया था कि क्या

नादकेरप्पा Sy.No में 1 एकड़ 14 गुंटा की पूरी सीमा का हकदार है। 1/11, और क्या सुधार के लिए उनका आवेदन बनाए रखने योग्य है, ये मामले न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने हैं।एकल न्यायाधीश के इस आदेश की पुष्टि खंड पीठ ने की है।उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश नोटिस को रद्द करने में उचित नहीं था।डिवीजन बेंच ने माना है कि भूमि न्यायाधिकरण के दिनांक 30.04.1982 के आदेश को दरकिनार करने के मद्देनजर, रिट अपील निष्फल हो गई है।हमारे विचार में, इस मामले में भूमि न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है।

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(I) बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 2007 की रिट अपील No.1950 में आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और W.P.No.27230/2002 दिनांक 25.07.2007 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया गया है।

(II) 2007 की रिट अपील NO.1563 दिनांकित 30.12.2014 में आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और W.P.No.23034/2002 दिनांकित 25.07.2002 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है।हम भूमि न्यायाधिकरण को दिनांकित सूचना पर जांच करने और कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं।

30. इन अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.